I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0023 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 22/06/2024 13:58 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	167
3	IPC 1860	218
4	IPC 1860	409
5	IPC 1860	420
6	IPC 1860	467
7	IPC 1860	468
8	IPC 1860	471
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Saturday **Date from (दिनांक से):** 22/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 22/06/2024

Time Period (समय अवधि): Pahar 5 **Time From (समय से):** 13:00 hrs **Time To (समय तक):** 13:10 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 22/06/2024 **Time (समय):** 13:10 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 005 **Date and Time (दिनांक और समय):** 22/06/2024 13:53 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 10 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): जिला गुरुग्राम,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Nanhi devi

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 05/04/1976 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**jind, UCHANA, JIND, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**jind, UCHANA, JIND, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9053052110

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	राम अवतार गुप्ता THE THEN LAO हाल सेवानिवृत			1. म0न0 1249,सैक्टर 9,गुरूग्राम, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
2	करतार सिंह तत्कालीन पटवारी			1. भूमि अर्जन अधिकारी,गुरूग्राम, GURUGRAM,HARYANA,INDIA 2. नायब तहसीलदार,भूमि अर्जन अधिकारी,फरीदाबाद, FARIDABAD,HARYANA,INDIA
3	श्रीमति राजेश		Father's Name: स्व0 रतन सिह	1. 237,न्यू पालम विहार फेस -1 ,GGM,GURUGRAM,HARYANA,INDIA 2. गांव पवाला खुसरपुर जहाजगढ, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
4	श्रीमति पिंकी		Father's Name: स्व0 रतन सिह	1. T-68,East Maharam Nagar,New Delhi,NEW DELHI,DELHI,INDIA 2. गांव पवाला खुसरपुर जहाजगढ, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
5	श्रीमति आरती		Father's Name: स्व0 रतन सिह	1. F/2 433,सुल्तानपुरी दिल्ली-86,NEW DELHI,DELHI,INDIA 2. गांव पवाला खुसरपुर जहाजगढ, GURUGRAM,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम। विषय - प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर । श्रीमान जी, निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 01 दिनांक 30.01.2019 गुरूग्राम मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 58/57/2018-1 चौ0 1 दिनांक 25.01.2019 की अनुपालना में आपके कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 2060/I-2/SVB (H) दिनांक 31.01.2019 के अनुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर पडताल हेतु इस मण्डल में प्राप्त हुई थी।

गांव पवाला खुसरूपुर (ग्राम पंचायत मौहम्मद हेडी) की शामलात भूमि की अधिगृहण राशि जो कि सरकार को देय थी। जिसमें भूमि अर्जन विभाग के कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत करके फर्जी व अधुरे कागजात के आधार पर सरकारी भूमि की राशि श्रीमति राजेश, श्रीमति पिंकी व श्रीमति आरती के हक में जारी करवा दी गई जबकि यह तीनों इस सरकारी राशि प्राप्त करने के लिये हकदार नही थी।

उपरोक्त आरोप के सम्बन्ध में जांच राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम में पूर्ण की गई जिसकी अन्तिम रिपोर्ट निरीक्षक सुरेश कुमार रा0चौ0ब्यूरो गुरूग्राम द्वारा तैयार की गई है। उपरोक्त प्रकरण में जांच के दौरान कथन अंकित किये गये जो कि कथन फाईल में मौजूद है। सम्बन्धित भूमि के सम्बन्ध में दस्तावेज का अवलोकन किया गया जो कि जांच रिपोर्ट की प्रलेख फाईल में मौजूद है।

इस प्रकरण में की गई जांच एंव दस्तावेज के अवलोकन से पाया गया कि हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश LAC(G) GTLA-2008/1436 दिनांक 25.01.2008 की अनुपालना में 150 मीटर चौडा रोड बनाने के लिये भूमि अधिग्रहण की गई जिसमें द्वारका दिल्ली की आवगमन हरियाणा के गुरूग्राम जिला के गांव खेडकीदौला तक करने के लिये दिनांक 25.01.2008 को धारा 4 का नोटिफिकेशन प्रकाशित किया था। जिसमें अन्य गांवों के अलावा गांव पवाला खुसरूपुर (जहाजगढ) की 49.71 एकड जमीन शामिल थी। इस अधिग्रहण की गई जमीन में ग्राम पंचायत की मलकियत की गैर मौरूसी 13 कनाल 15 मरला भूमि भी शामिल थी।

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वर्ष 1982-83 से वर्ष 1997-98 तक के रिकार्ड अनुसार रतन सिंह पुत्र भगवाना पुत्र खेमा निवासी पवाला खुसरूपुर (जहाजगढ) तहसील व जिला गुरूग्राम पंचायत देह की जमीन किला नं0 12//15/2-16/1 (0-7) , 13//10/2 (4-0), 11 मीन (5-16) के कुल 13 कनाल 15 मरला पर कास्तकार के खाना में गैर मौरूसी दर्ज था।

ग्राम पंचायत पवाला खुसरूपुर की बाल्मिकी समुदाय को जमीन किला नं0 12//15/2-16/1 (0-7) , 13//10/2 (4-0), 11 मीन (5-16) के कुल 13 कनाल 15 मरला जमीन खेती के लिए पटटा हर एक या 2 वर्ष के लिए छोडी जाती थी। रतन पुत्र भगवाना वर्ष 1979-80 से लेकर 1986 तक उपरोक्त जमीन को पटटे पर लेकर खेती करता रहा है। इसके बाद वर्ष 1986-87 से दिंनाक 08.07.2009 तक गांव के अन्य व्यक्ति उपरोक्त जमीन को पटटे पर लेते रहे है लेकिन जमाबन्दी वर्ष 1998-1999 तक उपरोक्त पंचायती जमीन को राजस्व रिकार्ड में रतन पुत्र भगवाना को कास्तकार के रूप में दिखाते रहे जबकि पंचायत की इस जमीन को गांव के अलग-2 व्यक्तियों को पटटे पर लेते रहे। रतन पुत्र भगवाना ने ग्राम पंचायत की उपरोक्त जमीन वर्ष 1986-87 के बाद कभी भी पंचायत रिकार्ड के अनुसार पटटे पर नहीं ली।

उपायुक्त गुरूग्राम कार्यालय के पत्र क्रमांक 162431@SK दिनांक 11.03.1998 के द्वारा गुरूग्राम जिला के सभी तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को जारी करके निर्देशित किया गया था कि इस समय चल रही फसल रबी 1998 की गिरदावरी के समय पंचायत की भूमि जो पटटे पर दी गई हो कि गिरदावरी खुदकास्त पंचायत देह मार्फत पटटेदार करे। यदि इस कार्य के लिये पंचायत प्रस्ताव आदि की आवश्यकता हो तो वह आप स्वयं लेवे। यदि किसी गावं में ऐसा नही किया गया तो उसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा इस पत्र की एक प्रति उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) गुडगांवां, नूहँ व फिरोजपुर झिरका को भेजकर अनुरोध किया गया कि उपरोक्त निर्देशो की पालना कराना सुनिशिचत करे। इस पत्र की अनुपालना में पटवारी गांव पवाला खुसरपुर द्वारा रपट नं0 77 पर दर्ज की गई तथा रपट नं0 78 पर पंचायत का प्रस्ताव दर्ज किया गया तथा इन रपटों का इन्द्राज खसरा

गिरदावरी दर्ज कर दिया गया था। गिरदावरी फसल रबी 1999 की रपट नम्बर 235 व 237 दिनांक 04.03.1999 को श्री ब्रह्मचन्द पटवारी द्वारा तबदील कास्त कर दी गई थी। तथा जमाबन्दी वर्ष 2002-03 में खाना कास्त में रतन सिंह को बेदखल करके पंचायत खुद कास्त दर्ज की गई।

भूमि अर्जन अधिकारी कार्यालय गुरूग्राम द्वारा हद बस्त नं0 57 गांव पवाला खुसरूपुर (जहाजगढ) की धारा 6 का नोटिफिकेशन दिनांक 18.03.2008 को प्रकाशित/जारी किया गया। इसके पशचात LAO गुरूग्राम द्वारा अवार्ड नं0 54 दिनांक 05.11.2009 को किया गया। अन्य गांवों के अलावा गांव पवाला खुसरूपुर की जमीन भी इस अवार्ड में शामिल थी। गांव पवाला खुसरूपुर की 48.23 एकड़ जमीन का अवार्ड किया गया जिसमें पंचायत देह की विवादित भूमि गैर मौरूसी रकबा 13 कनाल 15 मरला का मुआवजा दिया गया है वह भी इस अवार्ड में शामिल थी।

श्री रतन सिंह पुत्र भगवाना पुत्र खेमा निवासी पवाला खुसरूपुर ने श्री पी0एस0 ठाकरान वकील के माध्यम से धारा 18 व 30 The Land Acquisition Act के तहत केस दायर किया जिसमें उपायुक्त, प्रशासक हुडा, भूमि अर्जन अधिकारी व ग्राम पंचायत पवाला खुसरूपुर को पार्टी बनाया गया। उक्त केस भूमि अर्जन अधिकारी कार्यालय गुरूग्राम में दिनांक 06.01.2010 को प्राप्त हुआ। जिस केस को अग्रिम कार्यवाही हेतू नायब तहसीदार के मार्फत ADA को मार्क किया गया। अवार्ड स्टेटमेन्ट अनुसार रतन सिंह का कोई मालिकाना हक नहीं था। धारा 30 का केस नायब तहसीलदार के मार्फत करतार सिंह तत्कालीन पटवारी के नाम मार्क किया गया। रमेश कुमार पटवारी द्वारा तैयार की गई धारा 18 की स्टेटमेन्ट 19 में रतन सिंह को गैर मौरूसी का कोई हवाला नहीं दिया गया था। तत्कालीन पटवारी श्री करतार सिंह द्वारा स्टेटमेन्ट 19 की फोटो कापी कराकर उस पर खाना कास्त में पंचायत देह के नीचे अपने हाथ से रतन सिंह पुत्र भगवाना पुत्र खेमा गैर मौरूसी लिख दिया जबकि राजस्व रिकार्ड स्टेटमेन्ट 19 में गैर मौरूसी दर्ज नही था। यह केस तैयार करके माननीय अदालत ए0डी0जे0 गुरूग्राम में दिया गया था।

राम अवतार गुप्ता तत्कालीन भूमि अर्जन अधिकारी, गुडगांव द्वारा सुनवाई करने की खानापूर्ति करते हुए याचिका कर्ता को दिनांक 02.09.2011 व दिनांक 19.09.2011 को हाजिर होने बारे नोटिस जारी किया इसके उपरान्त दिनांक 20.09.2011 को रतन सिंह पुत्र भगवाना पुत्र खेमा निवासी जहाजगढ, पवाला खुसरूपुर व ग्राम पंचायत, पवाला खुसरूपुर को सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2011 को हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया, जबकि रिकार्ड अनुसार कोई सुनवाई नहीं हुई। विभाग द्वारा अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 30 के तहत दायर Reference की बाबत इस निष्कर्ष पर पंहुचने से पहले कि क्या वास्तव में दोनो पक्षों के बीच अधिगृहण भूमि के मुआवजे की राशि के बटवारे को लेकर कोई झगडा है भूमि अर्जन अधिकारी को क्या कार्यवही अमल में लानी थी। धारा 30 के अवलोकन पर पता चलता है कि Reference को जिला न्यायाधीश को फैसले के लिए भेजने से पहले भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच करनी चाहिए थी और राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करना चाहिए था ताकि वह इस निष्कर्ष पर पंहुच सके कि प्रार्थी द्वारा धारा 30 के अर्न्तगत दायर Reference निराधार या बेबुनियाद तो नहीं है और क्या वास्तव में मुआवजे की राशि को लेकर कोई झगडा बनता भी है या नहीं। लेकिन भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा जानबूझकर इस तथ्य को नजर अंदाज किया गया है। उस वक्त के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि धारा 30 के अर्न्तगत दायर Reference निराधार तथा बेबुनियाद था लेकिन फिर भी भूमि अर्जन अधिकारी ने अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ साज-बाज होकर Reference को जिला न्यायाधीश को भेज दिया।

माननीय अदालत श्री हरनाम सिंह, ADJ गुरूग्राम में श्री रतन सिंह द्वारा जो धारा 18 व 30 का केस दायर किया था इस केस की सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने दिनांक 26.02.2016 को अपना फैसला सुनाया। जिसमें याचिकाकर्ता को मुआवजा राशि 60 लाख रूपये प्रति एकड से बढाकर 1,41,37,575/- रू0 प्रति एकड कर दी वा आदेश पारित किये कि 70% राशि रतन सिंह को वा 30% Municipal Corporation Grurgram को दी जावें। अदालत द्वारा यह मुआवजा राशि पटवारी की गलत रिपोर्ट के कारण दिया गया जिसके वह हकदार नहीं थे। जिस पर राम अवतार गुप्ता तत्कालीन भूमि अर्जन अधिकारी कार्यालय द्वारा 2,88,23,433/-रु का चेक न0 629784 दिनांक 14.07.2011 को बनाकर ए0डी0जे0 कोर्ट, गुडगांव में जमा करवा दिया। जमा करवाई गई राशि का 70 प्रतिशत 2,01,76,403/-रूपये याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया। श्री हरनाम सिंह ए0डी0जे0, गुरूग्राम की अदालत द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 26.02.2016 के विरूद्ध मुआवजा राशि बढ़वाने के लिए श्रीमति राजेश देवी, आरती व पिंकी पुत्रीयान स्व0

श्री रतन सिंह पुत्र भगवाना द्वारा याचिका न0 RAF 3385/2016 माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा चण्डीगढ में दायर की जिसका फैसला दिनांक 22.08.2016 को हुआ जिसमें लाभार्थी की मुआवजा राशि को 1,41,37,575/-रू0 प्रति एकड से बढाकर 4,65,52,331/- रू0 प्रति एकड कर दिया था। इस फैसले के विरूद्ध सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली में SLP दायर की गई जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2017 को फैसला सुनाते हुए मुआवजा राशि का रेट 15% कम किया गया। भूमि अर्जन अधिकारी कार्यालय गुरूग्राम द्वारा श्रीमति राजेश देवी, आरती व पिंकी पुत्रीयान स्व0 श्री रतन सिंह पुत्र भगवाना को TDS काटकर कुल 12,45,14,860/-रूपये बराबर-बराबर 3 हिस्सो में इनके बैंक खातो में वर्ष 2018 में मुख्य प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला के कार्यालय से RTGS के माध्यम से भेजी गई।

इस प्रकरण के साजिशकर्ता रत्तन सिंह पुत्र भगवाना पुत्र खेमा की दिनांक 23.09.2013 को मृत्यु होने उपरान्त उनकी पुत्री क्रमश श्रीमति राजेश पुत्री स्व0 रतन सिह पत्नी हरकेश निवासी गांव पवाला खुसरपुर (जहाजगढ) गुरूग्राम हाल मकान नं0 237 न्यू पालम विहार फेस -1, गुरूग्राम, श्रीमति पिंकी पुत्री स्व0 रतन सिह पत्नी राजीव निवासी गांव पवाला खुसरपुर (जहाजगढ) गुरूग्राम हाल T-68, East Maharam Nagar, New Delhi-37, दुकान मेम साहब ओल्ड कमेटी चैक मेन बाजार बहादुरगढ, श्रीमति आरती पुत्री स्व0 रतन सिह पत्नी संदीप कुमार निवासी गांव पवाला खुसरपुर (जहाजगढ) गुरूग्राम हाल F/2 433 सुल्तानपुरी दिल्ली-86, दुकान आरोमा गर्लस कलेक्षन ओल्ड कमेटी चैक, मेन बाजार बहादुरगढ ने श्री राम अवतार गुप्ता हाल सेवानिवृत निवासी म0न0 1249, सैक्टर 9, गुरूग्राम व श्री करतार सिंह तत्कालीन पटवारी भूमि अर्जन अधिकारी, गुरूग्राम हाल नायब तहसीलदार, भूमि अर्जन अधिकारी कार्यालय, फरीदाबाद से मिलिभगत करके यह जानते हुये कि वे इस जमीन के मुआवजा राशि के असल हकदार नही है फर्जी रिकार्ड तैयार करके हरियाणा सरकार से 14,46,91,263 रूपये का मुआवजा प्राप्त किया गया हरियाणा सकरार को 14,46,91,263 रूपये की वित्तिय हानि पहुँचाई हैं। श्री राम अवतार गुप्ता, तत्कालीन भूमि अर्जन अधिकारी व करतार सिंह तत्कालीन पटवारी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुये फर्जी रिकार्ड तैयार किया व उसको अदालत में पेश करते हुये अदालत व सरकार को गुमराह करके योजनाबद्ध तरीके से मुआवजा राशि की असल हकदार ग्राम पंचायत पावला खुसरूपुर की बजाय उपरोक्त तीनो महिलाओं क्रमश श्रीमति राजेश, पिंकी व श्रीमति आरती को 14,46,91,263/-रु का अनुचित लाभ पहुंचाया गया व ग्राम पंचायत/हरियाणा सरकार को उक्त राशि की अनुचित हानि पहुंचाई जानी पाई गई है। प्रथम दष्टया से श्री राम अवतार गुप्ता तत्कालीन भूमि अर्जन अधिकारी, गुरूग्राम व श्री करतार सिंह तत्कालीन पटवारी रतन सिहें के साथ मिलीभगत करके इस कार्यवाही को योजनाबद्ध तरीके से अन्जाम देते हुये सरकार को वितीय हानि पहुंचाई है एंव श्रीमति राजेश, श्रीमति पिंकी व श्रीमति आरती द्वारा मुआवजा राशि की असल हकदार ना होते हुये भी धोखाधडी से यह राशि प्राप्त की है। आरोपियों का यह कृत्य धारा 167,218,409, 420, 467, 468, 471, 120 बी0 भा0द0स0 व 13¼1½(d) भ्रष्टाचार अधिनियम की जद में आता है। आरोपियान के खिलाफ जांचकर्ता द्वारा अभियोग अंकित करने का सुझाव दिया था। अपर महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला के पृष्ठ क्रमांक 7813@I-2/ACB (H) दिनाक 19.03.2024 में जांच की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके इस कार्यालय को अवगत करवाने बारे स्पष्ट निर्देश दिये है। आरोपियों का कृत्य EX-Facie Criminal Nature का है । जिसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक न0 4@2@20211VII Dated 26.7.2022 द्वारा जारी निर्देशो के तहत 17-A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अनुमति की आवश्यकता नही है। आरोपियान रामअवतार गुप्ता, तत्कालीन भूमि अर्जन अधिकारी हाल सेवानिवृत, श्री करतार सिंह तत्कालीन पटवारी कार्यालय भूमि अर्जन अधिकारी हाल नायब तहसीलदार कार्यालय भूमि अर्जन अधिकारी फरीदाबाद, श्रीमति राजेश, श्रीमति पिंकी व श्रीमति आरती के विरूद्व धारा 167, 409, 420, 218, 467, 468, 471, 120 बी0 भा0द0स0 व 13¼1½(d) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तगर्त अभियोग अकिंत करने के लिए ड्राफ्ट तहरीर तैयार करके अनुमोदन के लिए पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम के कार्यालय पत्र क्रमांक 1998/ भ्र0नि0ब्यूरो दिनांक 12.04.2024 के अनुसार मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला भेजी गई। मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पत्र क्रमांक 8937/आई-2/भ्र0नि0ब्यूरो दिनांक 16.04.2024 के अनुसार तहरीर अनुमोदन होकर प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम द्वारा मुझे अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर मार्क की है। मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय हूँ । उपरोक्त आरोपीयान के विरूद्व उपरोक्त धाराओं के अर्न्तगत अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर तैयार करके EHC दिनेश कुमार न0 1144/रेवाडी के हाथ थाना भेजी जा रही है। अभियोग अंकित करके

आगामी अनुसंधान हेतु अफसरान बाला के आदेशानुसार निरीक्षक प्रकाशचन्द के पास मिशल मुकदमा हजा मय असल तहरीर भिजवाई जावे। व अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट को भिजवाई जावे। मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय हूँ । अजः- कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम । निरीक्षक नन्ही देवी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम। दिनांक 22.06.2024 AT -1.00 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजा जा रही है और एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट साहब गुरुग्राम को भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश नि0 प्रकाश चन्द के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा EHC दिनेश कुमार न0 1144/रेवाडी के हवाले की गई

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** **(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.** 2 **में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Parkash chand **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 13 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jaipal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद *7* संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1959				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	01/01/1980				**Is pox pitted:** Yes
3	Female	01/01/1980				**Is pox pitted:** Yes
4	Female	01/01/1982				**Is pox pitted:** Yes
5	Female	01/01/1984				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)